इकाई–3

समाज कल्याण प्रशासन की अवधारण
(Concept of Social Welfare Administration)

पाठ संरचना (Lesson Structure)

3.0 उद्देश्य (Objective)

3.1 परिचय (Introduction)

3.2 समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ
(Meaning of Social Welfare Adminstration)

3.3 सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Social Welfare Administration)

3.4 सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्त
(Principles of Social Welfare Administration)

3.5 सामाजिक प्रशासन का महत्व
(Significance of Social Welfare Administration)

3.6 सारांश (Summary)

3.7 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

3.8 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

3.0 उद्देश्य (Objective)

सामाजिक कल्याण प्रशासन (Social welfare administration) लोक प्रशासन की अपेक्षा एक नवीन शाखा है जो कल्याणकारी राज्य के साथ–साथ धीरे–धीरे अपने कार्यक्षेत्र को व्यापक करती जा रही है। 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में विश्व के सभी पुलिस राज्य अपनी छवि कल्याणकारी राज्य में रूपान्तरित करने

में सफल रहे । अत: इस पाठयक्रम का उद्देश्य है सामाजिक कल्याण प्रशासन की सही परिभाषा तथा उसके महत्व एवं क्षेत्र को जानकारी विद्यार्थियों को देना है ।

3.1 परिचय (Introduction)

आधुनिक सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन तथा इससे सम्बन्धित विषयों का उद्‌भव बहुत पुराना नहीं है । शुरूआती दौर में 20वीं सदी के प्रारम्भ में कुछ ब्रिटिश विश्वविद्यालयों ने सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के अध्ययन के लिये इस विषय को अपनाया । इसके लिये 1901 में लंदन स्कूल ऑफ सौशियोलॉजी एण्ड इकॉनोमिक्स की स्थापना की गई । सन् 1912 में समाजशास्त्र विभाग बना । यह सामाजिक प्रशासन के आरम्भ का प्राथमिक चरण माना जा सकता है । सन् 1937 में सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्तों पर पहली बार शोध कार्य प्रो० आर०एम० टिटमस द्वारा किया गया । तथा सामाजिक प्रशासन को समूह तथा व्यक्तिगत स्तर पर जीवन दशाओं में सुधार करने वाली सामाजिक सेवाओं के प्रशासन के रूप में प्रतिपादित किया । इसने ब्रिटेन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम व पाठ्यक्रम आरम्भी किये और ब्रिटेन की भाँति विश्व के अन्य देशों के रूप में मान्यता प्रदान करके अपने विश्वविद्यालयों में आरम्भ कर दिया ।

अमेरिका में समाज कार्य का प्रथम शैक्षिक कार्यक्रम 1898 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया । भारत में 1936 में मुम्बई में बना 'सर ोराबजी, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क (Sir Dorabyee Graduate School of Work) इस दिशा में पहला प्रयास था । अब यह संस्थान 'Tata Institute of Social Sciences' कहलाता है ।

पर इस दौर में यह सामाजिक प्रशासन की विडम्बना ही रही कि इसे अन्य विधाओं से स्वतंत्र सामाजिक प्रशासन के रूप में सर्वसम्मत मान्यता नहीं मिली । इसके कारण इसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से सम्बोधित किया जाता रहा । परन्तु फिर भी सभी देशों में करीब-करीब इसके अर्थ, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और कार्यक्रम में समानता रही जो इस नवीन उपशाखा के लिये सकारात्मक रहा है । शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक प्रशासन भी लाभ विहीन प्रशासन है ।

4.2 समाज कल्याण प्रशासन का अर्थ (Meaning of Social Welfare Administration)

सामाजिक प्रशासन से तात्पर्य राज्य के अशक्त, विकलांग, दलित शोषित नागरिकों के सम्यक विकास से लिया जा सकता है, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सांस्कृतिक सुविधययें, बच्चों की देखभाल व संरक्ष्ज्ञण, नारी उत्थान तथा वंचित वर्गों को सामाजिक आर्थिक सक्षमता प्रदान करना भी शामिल है । विकास के साथ-साथ इनकी गरिमा और सम्मान व समानता का सामाजिक आर्थिक अहसास भी राज्य प्रशासन द्वारा प्रदान करने में राज्य की अहम भूमिका होनी चाहिये ।

सामाजिक प्रशासन विषय के अनेक पर्यायवाची तथा भ्रानक नाम विश्व भर में प्रचति हैं । टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई इसे सामाजिक सेवा प्रशासन मानते हुये पाठ्यक्रम आयोजित किया । आगरा स्थित समाज विज्ञान संस्थान 'सामाजिक कल्याण प्रशासन' नामक पाठ्यक्रम चलाया । अधिकांश अमेरिकी विश्वविद्यालयों में

इसे लोक कल्याण प्रशासन के रूप में जाना जाता है। कुल लोग इसे 'सामाजिक कार्य प्रशासन' भी कहते हैं। परन्तु 'सामाजिक प्रशासन' शब्द अधिक लोकप्रिय माना गया है। अतः 'समाज कल्याण प्रशासन' तथा 'सामाजिक प्रशासन' में कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता है।

केरियर एवं ध्यान केंडल के अनुसार, "सामाजिक प्रशासन समूह प्रशासन का ही एक अग है। सामाजिक प्रशासन से तात्पर्य उन सामाजिक नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं से लिया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति और परिवार की असक्षमताओं को रोकने और उनके कल्याण के लिये उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिये संचालित की जाती है।"

एंथोनी फँर्डर के अनुसार, सामाजिक प्रशासन कल्याणकारी व्यवस्था के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन से सम्बन्धित है, विशेषकर सरकार द्वारा प्रयोजित सामाजिक सेवायें इसमें शामिल होती हैं।

डी०वी० ऑनीसन सामाजिक प्रशासन के बारे में कहते हैं कि जहाँ एक ओर सीमित अर्थ में सामाजिक प्रशासन, सामाजिक सेवाओं के विकास, संरचना एवं व्यवहारों का अध्ययन है वहीं दूसरी ओर अपने व्यापक अर्थ में यह दर्शन सहित सभी सामाजिक विधाओं को रूपांतरित करते हुये सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान खोजना है।

रिजर्ट टिटमस ने तो विस्तृत रूप से सामाजिक प्रशासन के अर्थ की व्याख्या की है। उसने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में इसे परिभाषित करने की कोशिश की है। उनके अनुसार, सामाजिक प्रशासन को वृहत स्तर पर उन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उद्देश्य परिवार या समूह के सम्बन्धों में व्यक्ति के जीवन को हीन अवस्थाओं को सुधारना है, उसमें इन सेवाओं के कार्य आर्थिक पहलू और सामाजिक प्रक्रिया में इनके आपसी सहयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न सामाजिक सेवाएँ एवं संगठनों का भी विशेष अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं सामाजिक प्रशासन में सेवित व्यक्तियों की जीवन आवश्यकता, आपसी सम्बन्धों और इनके प्रशासनिक संगठनों के बीच आपसी सहयोग व सौहार्द का भी अध्ययन किया जाता है।

जौन किडने के शबदों में, "सामाजिक नीतियों को भूर्त समाज सेवाओं में रूपांतरित करने तथा संशोधित करने में अनुभव का प्रयोग करना ही सामाजिक प्रशासन है।"

सामाजिक प्रशासन के प्रसिद्ध चिचारक श्री वी० जगन्नाथन के अनुसार, "सामाजिक प्रशासन, वृहत अर्थ में नियामकोय, विकासपरक तथा कल्याण से सम्बन्धित है, जब कि संकुचित अर्थ में यह सामाजिक विधानों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित माना जा सकता है।"

मगर इन सबसे अलग बाल्टर फ्रीडलैंडर सामाजिक प्रशासन के बारे में मानते हैं कि, "राजकीय अभिकरणों में सामाजिक कल्याण प्रशासन सामाजिक प्रबन्धन को कार्यान्वित करता है और विधि, नियमों और विनिमयों को नागरिकों (सामान्य लोगों) के लिये सेवाओं में लागू करता है। यह मानवता वादी एवं धार्मिक प्रकृति के अन्य निजी सामाजिक अभिकरणों तथा गैर-राजकीय संगठनों द्वारा संस्थानों के विशेष लक्ष्यों को कार्य रूप में लागू करता है।"

महादेव प्रसाद शर्मा के विचार में लोक कल्याण प्रशासन केवल वर्तमान सभ्य जीवन का संरक्षक ही नहीं है, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार संशोधन करने वाला तंत्र है। वह एक ऐसी गतिशील शक्ति है जो जनता की इच्छा का अनुसरण करने के साथ ही साथ उसका मार्ग दर्शन भी करता है।

के० एम० स्लैक के शब्दों में "सामाजिक प्रशासन, अपने ज्ञान औश्र सिद्धान्तों के आधार पर एक और सामाजिक विज्ञान ही नहीं है बल्कि यह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों को भी प्रयुक्त कर लेता है जो सामाजिक समस्याओं के समाधान, सामाजिक नीति के क्रियान्वयन तथा सामाजिक कल्याण के उन्नयन से सम्बन्धित हों।

इस प्रकार सामाजिक कल्याण प्रशासन अथवा सामाजिक प्रशासन से सम्बन्धित अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित करते हुये इसके अर्थ को बताने का प्रयास किया है।

विकासशील राष्ट्रों के सन्दर्भ में सामाजिक प्रशासन की सर्वसम्मत परिभाषा एवं अर्थ प्रदान करने के लिये 1964 में दिल्ली में "विकासशील राष्ट्रों में सामाजिक प्रशासन गोष्ठी" का आयोजन किया गया। इसमें विद्वानों ने सामाजिक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करते हुय तीन बिन्दुओं को रेखांकित किया :–

1. सामाजिक प्रशासन एक विशिष्ट विषय नहीं है, बल्कि यह अध्ययन का बहु–अनुशासनात्मक क्षेत्र है।
2. सामाजिक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र आवश्यक रूप से उन वैधानिक प्रावधानों से सम्बन्धित है, जो समाज कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर गठित किये गये हैं।
3. उन वैधानिक प्रावधानों (कल्याण) का लक्ष्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से है। इसलिये व्यक्तिगत सामाजिक सेवाओं तथा जन सेवाओं में विभाजक रेखा खींची गई है जो वृहत्त स्तर पर समुदाय को अंधाधुन्ध लाभ पहुँचाती है।

अत: सामाजिक प्रशासन का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को साथ लेकर चलने के नियम से प्रेरित है जहाँ प्रत्येक नागरिक को उकसे सर्वांगीण विकास के संसाधन और उचित मानवीय नागरिक समाज में उसकी गरिमामयी भागीदारी प्राप्त हो सके और वहीं हर्षर्ट स्पेसर के इस नियम की पूर्णत: अनदेखी कर दी जाये कि सर्वोत्तम को ही जीवन का अधिकार है। इसके विपरीत सामाजिक प्रशासन दलित शोषितों को संबल प्रदान करते हुये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य रखता है जहाँ सामाजिक न्याय, समानता, शोषण व अत्याचारमुक्त नागरिक समाज, अशक्त एवं कमजोर लोगों के कल्याण के लिये भौतिक साधनों के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक व मानसिक समृद्धि तथा प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत गरिमा व स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने के लिये उिचत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना अति महत्वपूर्ण दायित्व है।

उपर जितनी भी परिभाषायें विद्वानों द्वारा दी गई हैं, ससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रशासन तो लोक प्रशासन का ही एक अंग है जो उन नीतियों, कार्यक्रमों या कानूनों का क्रियान्वयन करता है जो समाज कल्याण के लिये की जाती हैं। ये सामाजिक नीतियों या कार्यक्रम, पिछड़े वर्गों के कल्याण बेसहारा व्यक्तियों को आश्रय देने, अपराध या नश्खा प्रवृति के शिकार व्यक्तियों को इनसे छुटकारा दिलाना, सामाजिक न्याय तथा समानता की स्थापना करने तथा सभी को समान अवसर दिलाने हेतु बनायी जाती हैं।

सामाजिक प्रशासन-एक विषय एवं पेशा (Social Administration : As a Discipline and Profession)

सामाजिक प्रशासन की प्रकृति एक विषय या अनुशासन के रूप में पूर्ण स्वतंत्र विषय के रूप में परिपक्व होने की अवस्था से गुजर रहा है। अभी लोक प्रशासन की एक विशिष्ट शाखा के रूप में ही सामाजिक प्रशासन की पहचान है। एक विषय के रूप में अपनी अलग पहचान के लिये सुस्पष्ट परिभाषएँ अवधारणायें, तथा अध्ययन अभिगमों (Approaches on theories) का होना भी प्राथमिक आवश्यकता है। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति तथा क्षेत्र भी अभी तक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इस विषय तथा इसके क्षेत्र को व्यापकता एवं लोकप्रियता अवश्य प्रदान की है। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन सदैव से ही सभ्य समाजों की राज व्यवस्थाओं में विद्यमान रहा है। उसी प्रकार संवेदनशील समाजों में सामुदायिक एवं स्वैच्छिक स्तर पर सामाजिक कल्याण की गतिविधियों हमेशा विद्यमान रही है। लोकतन्त्र के विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने सामाजिक प्रशासन को एक विधिवत् स्वरूप में विश्व भर में लोकप्रिय तथा अपरिहार्य बना दिया है।

इसलिये सामाजिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र से जुड़े कार्मिकें का कार्य एक पेशा (Prefession) कहा जाने लगा है। जिस प्रकार चिकित्सा, नर्सिंग कानून, संगीत, जन सम्पर्क तथा ज्यातिष इत्यादि पेशे हैं, उसी प्रकार समाज कल्याण भी एक पेशे का रूप धारण कर रहा है।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो सामाजिक प्रशासन के अर्थ के अन्तर्गत कुछ प्रमुख बातें एवं उद्देश्य नीहित हैं जैसे :–

1. सामाजिक न्याय की स्थापना करना
2. समानता के अधिकार को सुनिश्चित करना,
3. शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलवाना,
4. राह भटके व्यक्तियों को सद्मार्ग दिखाना।
5. शारीरिक एवं मानसिक रूप से नि:शक्त लोगों का पुनर्वास करना,
6. नागरिकों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा स्वाभिमान को बनाये रखने में सहायता करना,
7. सामाजिक विकास को साकारात्मक दिशा प्रदान करना।
8. सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक आधार पर असमानता के शिकार अथवा दमित व्यक्तियों का कल्याण करना, और
9. मानव के समस्त कल्याण तथा राष्ट्रीय विकास के लिये सभी आवश्यक प्रयास करना।

3.3 सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र (Scope of Social Welfare Administration)

कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में राज्य का यह नैतिक दायित्व होता है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिये सार्थक प्रयास करे। सामाजिक प्रशासन का संविधान में उपबन्धित प्रावधानों पर अत्यधिक निर्भर रहता है।

सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को बी० जगन्नाथन ने स्पष्ट करते हुये कहा है–सामुदायिक सेवायें, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण ।

सामुदायिक या सामाजिक सेवाओं (Social services) के अन्तर्गत पेयजल, शिक्षा, स्वास्यि, आवास, स्वच्छता तथा पर्यावरण सुरक्षा के कार्यक्रम सम्मिलत किये जाते हैं । ये मूलभूत सेवायें सभी समाजों में पाई जाती हैं । ये सेवायें सभी नागरिकों के लिये दी जाती हैं ।

सामाजिक सुरक्षा (Social security of defence) के अन्तर्गत उन प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जो वृद्धों, बेरोजगारों तथा नि:शक्तजनों के लिये सरकार द्वारा किये जाते हैं । सामाजिक कल्याण (Social welfare) शब्द के अन्तर्गत वे सभी कार्यक्रम तथा नीतियों आती हैं जो विशिष्ट लक्षित व्यक्तियों के कल्याणार्थ निरूपति एवं संचालित की जाती है ।

इन्हीं से जुड़ा एक अन्य शब्द भी है–समाज कार्य (Social work) । समाज कार्य एक प्रक्रिया है जो सामाजिक कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है । समाज कार्य एक औपचारिक प्रक्रिया है जो सिकी स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता के द्वारा संचालित होती है, जबकि समाज कल्याण के कार्य औपचारिक तथा विधिवत रूप से गठित होते हैं । समाज कार्य में कार्यकर्त्ता मूलत: लक्षित व्यक्ति की भावनाओं तथा इच्छाओं का सम्मान करता है, जबकि समाज कल्याण प्रशासन में कार्यरत कार्मिक, कार्यक्रमों को संचालित करना अपना औपचारिक दायित्व समझते हैं । धीरे–धीरे समाज कार्य तथा समाज कल्याण प्रशासन में दूरी समाप्त होती जा रही है । सदियों से समाज कार्य एक स्वैच्छिक तथा मानवता पर आधारित कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, परिवार तथा समाज की विपदा के समय सहायता करने का कार्य करती है । लोक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती अवधारणा ने यह कार्य लोक प्रशासन को सौंप दिया है । अत: अब स्वैच्छिक समाज कार्य कम तथा सरकारी समाज कल्याण कार्य अधिक होते हैं, जिन्हें सामाजिक प्रशासन के मूलभूत वस्तु अर्थात् उसका क्षेत्र मान सकते हैं ।

समाज के कल्याण से सम्बन्धित एक अन्य शब्द समाजिक सुधार (Social Reforms) को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है । सामाजिक सुधार से तात्पर्य कुछ क्रान्तिकारी तथा वैधानिक कार्यों से है जो प्रवर्तित कुरीतियों, समस्याओं, आडम्बरों तथा रूढ़ियों को मिटाना चाहते हैं । बाल विवाह, दहेज, बहुपत्नी, मृत्युभोज, बालश्रम, वेश्यावृत्ति, विधवा समस्या तथा भिक्षावृत्ति इत्यादि समस्याओं को समाजिक क्षेत्र में एक निर्देशित ढ़ंग से नियंत्रित करना समाज सुधार कार्य है । यद्यपि समाज सुधार का कार्य पुराने जमाने से ही महापुरुषों के द्वारा होता रहा है, परन्तु अब इस क्षेत्र में, अर्थात् सामाजिक सुधार तथा सामाजिक परिर्वतन का कार्य सरकार ने अपने उपर लिया है, जिसे सामाजिक प्रशासन निर्वाहित करता है ।

इस प्रकार सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र मुख्य रूप से समाज कल्याण तथा सुरक्षा से सम्बन्धित क्रियान्वित की जाने वाली सेवाओं में नीहित है ।

रिचर्ड एम० टिटमस ने सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में कहा है, "सामाजिक प्रशासन को व्यापक रूप से उन सामाजिक सेवाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित या समूह के सम्बन्धों तथा व्यक्ति की जीवन दशाओं के सुधार से है । इसमें इन सेवाओं के वैधानिक तथा स्वैच्छिके एतिहासिक विकास क्रम सहित इनके नैतिक मूल्यों, भूमिका तथा कार्यों, आर्थिक पक्षों तथा सामाजिक प्रक्रिया की आवश्यकताओं में इनकी भूमिका

को समाहित किया जाता है। एक तरफ हम इनकी प्रशासनिक मशीनरी, जो सामाजिक सहायता से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाएँ संगठित तथा वितरित करती है, को ले सकते हैं तो दूसरी तरफ हम उन लोगों (समुदाय) की जीवन दशाओं, आवश्यकताओं तथा वापसी सम्बन्धों को भी देखते हैं, जिनके लिये सामाजिक सेवायें संचालित की जा रही है।"

उपर दी गई परिभाषा तथा उसके विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसमें सामाजिक सेवाओं के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है।

सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र की व्यापकता को बतलाते हुये डॉनिसन यह मानते हैं कि इसमें सेवित व्यक्तियों की जीवन शैली, उनकी समस्याओं तथा आवश्यकताओं का भी अध्ययन अनिवार्य है।

समग्र एवं सीमित दृष्टिकोण (Integrated and Narrow Views) :

लोक प्रशासन शून्य में कार्य नहीं करता है बल्कि प्रशासन का कार्य क्षेत्र तो सम्पूर्ण समाज है। शासन की सारी नीतियों तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य मानव कल्याण ही होता है। इस पूरे दृष्टिकोण के आधार पर लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र ही सामाजिक प्रशासन का कार्यक्षेत्र है। यदि इसे दूसरे परिपेक्ष में देखा जाये तो वर्तमान लोक कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था भी सामाजिक प्रशासन है जिसमें प्रशासन से सम्बन्धित सभी विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, निर्माण, उद्योग इत्यादि सम्मिलित हैं।

परन्तु उपर्युक्त वर्णित आधारों तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र को देखते हुये सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :–

1. **पोसटकोर्ब (POSDCORB)** तकनीक का दायरा।

लूथर गलिक द्वारा यिा गया है तकनीक प्रशासन के प्रबन्धीय दृष्टिकोण के क्षेत्र को स्पष्ट करता है। जैसे पोस्टकॉर्ब का पूरा रूप है–

P - Planning – नियोजन करना

O - Organising – संगठित करना

S - Staffing – कर्मचारी प्रबन्ध करना

D - Directing – निर्देश करना

Co- Co-ordinating – समन्वय करना

R - Reporting – प्रतिवेदन देना

B - Budgeting – आय–व्यय का हिसाब देना।

इस प्रकार तकनीक के आधार पर सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र न्यूनाधिक भाग में प्रबन्धकीय प्रकृति का हो जाता है। इन सात शब्दों को यदि देखा जाये तो ये सभी सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र से भी सम्बन्धित हैं। अतः इन्हें किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

2. सामाजिक नीति एवं विधान निर्माण

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, न्याय एवं समानता की स्थापना तथा पिछड़े वर्गों को शोषण से मुक्ति दिनाले के लिये एक व्यवहारिक शासकीय नीति की आवश्यकता होती है। भारत में ब्रिटिश काल से ही सामाजिक विधानों का निर्माण शुरू हो गया था जो अभी भी जारी है। सामाजिक प्रशासन के विस्तृत कार्यक्षेत्र में सुस्पष्ट सामाजिक नीति के निर्माण तथा व्यावहारिक सामाजिक कानूनों का निरूपण भी सम्मिलित है।

3. जन सम्पर्क को महत्व

संचार क्रान्ति के इस युग में जनसम्पर्क का विशेष महत्व है। सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में जन सम्पर्क का उद्देश्य बहुत व्यपपक है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, (रेडिया, फिल्म, टेलीविजन, पोस्टर, प्रदर्शसी, लोक नृत्य, गीत, व्याख्यान इत्यादि) समाज कल्याण की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाया जाता है और लोगों में सामाजिक चेतना लाई जाती है। अर्थात् यह भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

4. अनुसंधान तथा मूल्यांकन

सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र सामाजिक समस्याओं या व्याधियों से सम्बन्धित है। इसलिये यहाँ सामाजिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य तत्कालीन या दीर्घकालीन सामाजिक जीवन को समझ कर उस पर अपेक्षाकृत अधिक नियन्त्रण प्राप्त करना रहता है। सामाजिक जीवन स्तर में आये सुधारों का पता भी अनुसंधान तथा मूल्यांकन कार्यों से ही चलता है। इसमें मंत्रालय के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठन की इस क्षेत्र में अनवरत् प्रयत्नशील है।

कुछ विद्वानों का मानना है कि सामाजिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निम्नलिखित गतिविधियों से सम्बन्धित है :-

सामाजिक समस्यायें, सामाजिक सेवायें, सामाजिक सुरक्षा, समाज कार्य, समाजिक नीति, समाज कलयाण, समाज कल्याण कार्यक्रमों की प्रशासनिक संरचना, स्वैच्छिक अभिकरण, अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण अभिकरण, वित्तीय प्रशासन (समाज कल्याण), कार्मिक प्रशासन (समाज कल्याण), जन सहभागिता, पोस्डकोर्ब, अनुसंधान एवं मूल्यांकन।

परन्तु अलग-अलग राज्यों में सामाजिक प्रशासन भिन्न कार्य क्षेत्र और प्रकृति पाता है। फिर भी कुछ बिन्दुओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है।

लोक प्रशासन की अपेक्षा सामाजिक प्रशासन अभी अपनी शैशवावस्था में है, जहाँ इसकी मान्यतायें क्षेत्र तथा अन्य सिद्धान्त अभी निश्चित नहीं हो पाये हैं। अत: इस कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक राज्य अपने यहाँ सामाजिक कल्याण प्रशासन सम्बन्धी शोधपरक संस्थायें स्थापित करते रहते हैं- जैसे 1992 में अमेरिका ने सामज शास्त्र विभाग, 1936 में भारत में व मुंबई में समाज कार्य सम्बन्धी सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल की स्थापना, जो अब टाटा इन्स्टीट्यू ऑफ स्पेशल साइंस के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में 1954 में इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (Indian Institute of Public Administration) स्थापित किया गया है। अत: सामाजिक कल्याण प्रशासन के क्षेत्र में शोधक नवीन विधा भी आता है।

इसके अलावा सामाजिक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र मानवतावादी दृष्टिकोण है। सामाजिक

प्रशासन का कार्यक्षेत्र पूर्णत: अंतर्जातीय (किसी भी भेदभाव से निष्पक्ष) और अन्तर्राष्ट्रीय है। मिरियम वाटर्स का भी यह मानना है कि इसका क्षेत्र सम्पन्न और सुखी लोगों के साथ-साथ, दुखी और अपंग लोगों की मानवीय समस्याओं के समाधान के लिये उपयोगी भूमिका का निर्वाह करती है। अत: सामाजिक प्रशासन की विषय वस्तु या इसी ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसका क्षेत्र मानवीय समाज है।

वर्तमान समय में सरकारी और निजी सामाजिक प्रशासन दोनों जन कल्याण के लिये लागातार कार्य कर रहे हैं। अत: निजी प्रशासन भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

इस प्रकार सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र उतना विस्तृत है कि कोई भी कोना उससे अछूता नहीं है। जिधर भी नजर जाती है सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र वहाँ तक फैला हुआ है।

3.4 सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्त (Principles of Social Welfare Administration)

सामान्यत: सिद्धान्त (Theories) उस व्यवस्था को कहते है जो अनुभव के आधार पर खोजों पर आधारित होती है। सामाजिक प्रशासन अभी तक सिद्धान्त की प्रक्रिया से ही गुजर रहा हूँ। इसलिये सामाजिक प्रशासन विषय से सम्बन्धित सर्वमान्य सिद्धान्तों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सामाजिक प्रशासन लोक प्रशासन की शाखा है जो समाज कल्याण से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन कर रहा है इसलिये यह कमान्य प्रशासन के सिद्धान्त का ही अनुगामी है। परन्तु सामाजिक प्रशासन धीरे-धीरे अपना सीमा विस्तार समाज कार्य के माध्यम से कर रहा है। जहाँ तक सामाजिक प्रशासन के आदर्श वाक्यों या सिद्धान्तों (Principles) का प्रश्न है, वह समाज कार्य से अधिक नजदीक प्रतीत होता है। इसलिये समाज कार्य के आधारभूत मूल्यों के माध्यम से, सामाजिक प्रशासन धीरे-धीरे अपना सीमा विस्तार कर रहा है। वाल्टर ए० फ्रीलैण्डर ने समाज कार्य के निम्नलिखित सिद्धान्तों की चर्चा की है। उन्होंने पाँच सिद्धान्तों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है :-

1. व्यक्ति में निहित गुणों, सत्यनिष्ठा तथा प्रतिष्ठा में दृढ़ विश्वास :-

समाज शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक एकमत से स्वीकार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अर्थहीन या अवगुणों से युक्त नहीं होता, बल्कि सभी में गुण तथा योग्यता होती है। सामाजिक प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की गारंटी देता है, जिसकी प्राप्ति के लिये वह पूरर तरह समतामूलक समाज पर जोर देता है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ बिना किसी जाति, धर्म, रंग, वंश, लिंग या क्षेत्रीय भेदभाव के व्यवहार हो सके।

सामाजिक प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के उपभोक्ता प्राय: बेवस पीड़ित, नि:शक्त, रोगी, परित्यक्ता, समाज द्वारा सताये हुये तथा किन्हीं अवगुणों या कुप्रवृत्तियों के शिकार व्यक्ति होते हैं। सामाजिक प्रशासन के कर्मचारियों अथवा समाज सेवा में लगी संस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति को साकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुये उसकी सेवा करे। इससे वह व्यक्ति स्वयं के लिये गरिमा महसूस करेगा और समाज भी उसे उचित प्रतिष्ठा प्रदान करने में पूरी मदद देगा। इससे प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में स्वयं और समाज के प्रति अपनत्व की भावना विकसित होगी। यदि सामाजिक प्रशासन ऐसा करने में असफल रहता है तो वह अपना महत्व एवं प्रासंगिकता खो देगा।

सुधार प्रशासन तथा कल्याण कार्यों, दोनों का लक्ष्य सामाजिक विकास को सही गति प्रदान करना है। सामाजिक प्रशासन से सम्बन्ध कार्यकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सेवित व्यक्ति के गुण, उसकी आन्तरिक क्षमतायें तथा कौशल व्या क्या हैं ? हो सकता है कोई शरीबी या अपराधी बहुत अच्छे चित्रकार या गायक हों, अत: हमें उसे केवल शराबी समझकर दुत्कारना नहीं चाहिये, बल्कि उसके आन्तरिक गुणों को पहचानकर समाज के सामने लाया जाना ही समाज कार्य का वास्तविक फल है। सामाजिक प्रशासन अपना कार्य करने के लिये मुख्यत: तीन प्रकार से कार्य करता है :– (i) सामाजिक व्यक्ति कार्य, (ii) सामाजिक समूह कार्य और (iii) सामुदायिक संगठात्मक कार्य।

2. व्यक्ति के स्वावलम्बन तथा आत्मनिर्णय को अधिकार मानना :-

समाज कल्याण से जुड़े हुये व्यक्ति तथा संस्थानों को शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिये। साथ ही उसे साकारात्मक और नम्रतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिये। सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा में लगे समाज सेवियों को चायिहे कि वे किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य, व्यवसाय या पद विशेष के लिये बाध्य न करे। सामाजिक संस्था या अभिकर्ता को अपना कर्त्तव्य निभाते हुये उस व्यक्ति विशेष की समस्या और उसके हल के प्रति जागरूक कर उसका उचित मार्ग दर्शन करना चाहिये। परन्तु मार्ग दर्शन करते वक्त निर्णयकर्त्ता बनने की कोशिश नहीं करे। क्योंकि बहुत से लोग सहायकता लेना पसंद नहीं करते।

फ्रीड लैन्डर के अनुसार, "समाज सेवी को यह समझ लेना चाहिये कि सेवित व्यक्ति को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक स्थिति में परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब उसे स्वयं की सहायता करने में सहायता दी जाये।" अत: एसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति सहायता लेना पसंद नहीं करते तो बहुत ही धैर्य तथा चतुराई से काम लेना चाहिये तथा व्यक्ति के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान करने के लिये सदैव तैयार रहना चाहिये। यही समाज कार्य का दूसररा प्रमुख सिद्धान्त है।

3. सभी के लिये समान अवसर प्रदान कारना :-

समाज कार्य तथा सामाजिक प्रशासन का तीसरा प्रमुख सिद्धान्त वर्तमान लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं का दर्शन (Philosophy) भी है। जैसे सामाजिक प्रशान सभी व्यक्तियों के विकास के लिये समान अवसर विकसित करें। फ्रीडलैंड भी यह मानते हैं कि, "सामाजिक सेवायें किसी जाति, धर्म तथा वर्ग के भेदभाव के बिना सभी को उपलब्ध होनी चाहिये।" ऐसा करने से सभी के बीच स्वस्थ्य संबंध विकसित होंगे। इसमें व्यक्ति की सामाजिक सोंच का भी विस्तार होगा।

भारत जैसे देश में जहाँ भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नतायें अत्यधिक हों, वहाँ इस सिद्धान्त का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सदियों से पीड़ित तथा अपमानित रहे शूदों तथा सदियों से सताई जा रही नारी को समानता का अधिकार तथा अवसर प्रदान करना प्रशासन का मुख्य दायित्व है। धर्म तथा सम्प्रदाय के नाम पर बहुत सी स्वैच्छिक संस्थायें कार्यरत है जो केवल उनकी संस्था से सम्बन्ध व्यक्तियों की ही सेवा करती है। भारतीय समाज में व्याप्त परम्परागत घृणा, कुण्ठा तथा धार्मिक संकीर्णता सभी को समान अवसर प्रदान करने में बाधक बनती है जबकि सामाजिक कार्य तथा प्रशासन का यह सिद्धान्त है कि सभी को समानता को अधिकार प्रदान किया जाये। विकसित तथा यूरोपीय देशों में यह समस्या विधमान नहीं है।

4. व्यक्ति का स्वयं परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी :-

समाज में रहते हुये ही मनुष्य सभ्य, शिक्षित तथा अर्थपूर्ण अस्तित्व को प्राप्त करता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को न केवल अपने परिवार तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को समझना चाहिये बल्कि स्वयं के प्रति भी इमानदार बनना चाहिये। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, स्वयं के नजरों में व्यक्ति की प्रतिष्ठा का बने रहना तथा गलत कार्यों से स्वयं को बचाना ही स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व है। महात्मा गाँधी ने उचित ही कहा था कि, "दुनिया में सबसे बड़ी अदालत व्यक्ति की उत्तरात्मा ही होती है। समाज सेवी व्यक्ति यदि इन उत्तरदायित्वों का बोध समाज को करवा सके तो अनेक समस्यायें कम हो जाती हैं।

वास्तव में यह एक नैतिक सिद्धान्त है, जो व्यक्ति से यह माँग करता हे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण समाज में ही पूर्ण होता है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव तथा भौतिकतावाद के सम्पर्क में आकर आज हम इसी उत्तरदायित्व से विमुख हो गये हैं। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन, बाल अपराध, नशापान प्रवृत्तियों तथा मानसिक तनाव बढ़े हैं। सामाजिक प्रशासन में कार्यरत कार्यकर्त्ताओं को इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम सम्पादित करने चाहिये।

5. मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण :-

सामाजिक कार्य मनुष्यों द्वारा ही किये जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी खास धर्म, सम्प्रदाय या सामाजिक मूल्यों का स्वभाविक रूप से अनुगामी हो सकता है। अतः यह अन्तिम सिद्धान्त व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्त्ता की योग्यता दर्शाता है। इसके अनुसार व्यावसायिक कार्यकर्त्ता की अपनी रूचि व अनुभव सेवित वर्ग के लिये कितनी भी नाकारात्मक क्यों न हो किन्तु उसे मूल्य निरपेक्ष एवं तटस्थ भाव से सेवा करनी चाहिये। किसी मूल्य विशेष को महत्व प्रदान करने से समाजिक कार्यों का मूलभूत लक्ष्य ही पीछे छूट जाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई सामाजिक कार्यकर्त्ता यह सिद्धान्त अपनाता है कि वह सिर्फ गरीबों की ही सहायता करेगा, अमीरों की नहीं। परन्तु कभी कोई धनी व्यक्ति किसी भी कारण से (नशे में या चोट खाकर) सड़क पर पड़ा मिले, तो उसे चाहिये कि उस धनी व्यक्ति की भी सहायता करे। अर्थात् उसे अपने मूल्य व्यक्ति निरपेक्ष या तटस्थ बनानी होंगी। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो समाज कल्याण और उसकी सेवा के प्रति न्यायोचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में वह पीड़ित व सेवित को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर पायेगा।

वाल्टर ए० फ्रीडलैण्डर ने जो इन सिद्धान्तों की चर्चा की है, उसके बावजूद भी यह कहा जा सकता है कि सामाजिक प्रशासन विषय का सैद्धान्तिक पक्ष अभी भी शैशवावस्था में है। विषय के आदर्श प्रतिमान (Models) अभी विकसित नहीं हो पाये हैं। परन्तु यह आदर्श मूल्य या सिद्धान्त (Principles) इस प्रकार देखे जा सकते हैं :-

1. सामाजिक प्रशासन का कार्यक्षेत्र निबर्ल, निःशक्त तथा सामाजिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित लोगों की सेवा से सम्बन्धित है। अतः इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की मान्यतायें मानवीय दृष्टिकोण (Humanistic Approach) पर आधारित होनी चाहिये।
2. समाज कल्याण से सम्बन्धित गतिविधियों संचालित करने वाले संगठनों या अभिकरणों के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यक्रम पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिये।

3. जो भी कार्यक्रम, नीति या विधान समाज कल्याण के लिये बनाये या किये जाते हैं, वो लाभार्थी वर्ग की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिये ।
4. सामाजिक कल्याण प्रशासन द्वारा किया जाने वाला सामाजिक नियोजन कार्य 'आर्थिक नियोजन' से सुसंगत होना चाहिये ।
5. सामाजिक प्रशासन की सेवाओं को संचालित करने वाले कर्मिों का एक अलग संवर्ग (cadre) होना चाहिये । तथा उनके कार्यों से सम्बन्धित (जैसे-भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि) एक अलग वृत्तिका विकास (career development) की स्पष्ट नीति और प्रणाली होनी चाहिये ।
6. जन सम्पर्क, प्रचार, प्रसार और जनमत का निर्माण किसी भर सरकारी कार्यक्रम की सफलता का आधार है । इसलिये समाज कल्याण से सम्बन्धित सभी बातों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये ।
7. समाज कल्याण का सीधा सम्बन्ध पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजनों तथा अन्य जरूरतमन्दों की सेवा करने का है । अत: अन्य मानवोपयोगी सेवाएँ देने वाले प्रशासनिक संगठनों से सामाजिक प्रशासन का सही तालमेल और सम्बन्ध होना चाहिये ।
8. सामाजिक प्रशासन द्वारा चलाये जाने वागे सभी कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का समय-समय पर प्रबोधन (Monitoring) होना चाहिये ।
9. स्वैच्छिक संगठनों का सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहता है । इसलिये सामाजिक प्रशासन को इन संगठनों को न केवल प्रोत्साहित करना चाहिये बल्कि इनकी विशेषज्ञता से पूर्ण लाभ भी उठाना चाहिये ।
10. अपनत्व, मानवता, दयालुता तथा कर्त्तव्य बोध तथा लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों को सामाजिक प्रशासन में समाहित किया जाना चाहिये ।

यद्यपि सामाजिक प्रशासन के महत्वपूर्ण अथवा विशिष्ट सिद्धान्त (Theories) अभी विकसित नहीं हुये हैं, फिर भी समाज कल्याण के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रचलित प्रतिभानों (Models) में चार प्रतिमान महत्वपूर्ण हैं जैसे :-

1. पारिवारिक प्रतिमान (Familial Model)
2. अवशिष्ट प्रतिमान (Residual Model)
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिमान (Mixed Economy Model)
4. राज्य नियन्त्रित प्रतिमान (State Controlled Model)

पारिवारिक प्रतिमान के अन्तर्गत परिवार को एक कल्याणकारी एवं सुरक्षा प्रदान करने वाली इकाई माना है । राज्य और समाज जरूरतमन्द व्यक्ति की परिवार का व्यक्ति मानकर सेवा करता है । यह प्रतिमान फ्रांस में अधिक प्रचलित रहा है ।

अवशिष्ट प्रतिमान इस मान्यता पर आधारित है कि वृद्धावस्था, रोगावस्था तथा बेरोजगारी के लिये कल्याण सेवायें तथा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से या स्वयं के प्रयासों से पूरी की जानी चाहिये और कुछ सेवायें सरकार द्वारा दी जानी चाहिये, जो गम्भीर प्रकृति की हों । यह प्रतिमान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध रहा है ।

मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिमान यह मानकर चलता है कि समाज कल्याण के कार्यों में राज्य तथा निजी क्षेत्र दोनों का दायित्व होना चाहिये। पश्चिमी जर्मनी में 20वीं सदी के मध्य यह प्रचलित रहा।

राज्य नियन्त्रित प्रतिमान राज्य के सामाजिक दायित्वों को महत्वपूर्ण मानता है। समाजवादी चीन तथा पूर्वकालीन सोविय रूस (U.S.S.R) तथा कुछ कम्युनिस्ट देशों में यह प्रतिमान अपनाया गया। क्योंकि उनके अनुसार सारी समाज कल्याणकारी गतिविधियों राज्य का दायित्व मानी जाती रही हैं।

उपर बताये गये सभी समाज कल्याण प्रतिमान बहुत से विद्वानों द्वारा अस्वीकार किये जाते रहे हैं। उनके अनुसार समाज कल्याा के कार्यों तथा क्षेत्र को न तो परिधियों में समेटा जा सकता है और न ही वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्तु इसके बावजूद यह सदी है कि प्रतिमान भी अपनी एक सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक महत्व अवश्य रखते हैं।

3.5 सामाजिक प्रशासन का महत्व (Significance or Importance of Social Administration)

लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में सामाजिक प्रशासन दिन प्रतिदिन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके महत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है :–

1. **संवैधानिक प्रावधानों एवं आदर्शों की क्रियान्विति :**–भारत का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण का दायित्व राज्य को सौंपता है। संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत समाज कल्याण के लक्ष्य वर्णित इन प्रावधानों की क्रियान्विति के लिये ही सामाजिक प्रशासन कार्यरत है। यदि सामाजिक प्रशासन इन आदर्शों को क्रियान्वित न करे तो ये आदर्श संविधान के पक्षों तक ही सीमित रह जायेंगे। अत: इन संवैधानिक प्रावधानों को कार्ययप में परिणित करने के लिये सामाजिक प्रशासन का बहुत महत्व है ।

2. **मानव कल्याण का माध्यम :**–सामाजिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र समाज सेवा तथा समाज सुरक्षा से सम्बन्धित है। निराश्रितों को आश्रय देना, सताई हुई महिलाओं को सम्बल बनाना, पिछड़ी जातियों को आगे लाना, नि:शक्तजनों को सम्मान से जीने में मदद करना तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना ही सामाजिक प्रशासन की मुख्य गतिविधियाँ हैं। मानव कल्याण तथा समाज सेवा की परम्परागत सामाजिक मान्यतायें बदलते परिवेश में समाप्त हो रही हैं। ऐसे में सामाजिक प्रशासन का महत्व और भी बढ़ जाता है।

3. **सामाजिक परिवर्तन का माध्याम :**–हमारा संविधान तथा राज्य के द्वारा किये जा रहे प्रयास सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के परिचालक हैं। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों का विकास, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा सती प्रथा से सम्बन्धित परिवर्तन के प्रयास हैं। महिलाओं की शिक्षा, नि:शक्तजनों का कल्याण तथा असहायजनों को आश्रय प्रदान करके भी राज्य अपने दायित्व निभाता है। समयानुकूल ऐसे ही निर्णय भारतीय सामाजिक परिवर्तन को एक सार्थक दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार सामाजिक प्रशासन का महत्व सामाजिक परिवर्तन लाने में भी देखा जा सकता है।

4. **राष्ट्रीय विकास में योगदान :**–भारत में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है । परन्तु ये मानव संसाधन में शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की कमी है । महिला, बच्चे, मजदूर, वृद्ध, अपराधी नि:शक्त तथा अन्य पिछड़े व्यक्तियों को राष्ट्रीय विकास के लिये योग्य बनाना भी सामाजिक प्रशासन का उद्देश्य है । वह मानव सांसाधन को इस योग्य बनाये कि वह राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें । यहा सामाजिक प्रशासन की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है ।

5. **स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन :**–समाज कार्य अधिकांशत: स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों से होते आये हैं । इन संगठनों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याा मण्डल तथा अन्य राजकीय अभिकरण सामाजिक प्रशासन के अंगों के रूप में कार्यरत हैं । सामाजिक प्रशासन के अधिकतर कार्य, कार्यक्रम तथा दायित्व इन्हीं संगठनों के माध्यम से सम्पादित हो रहे हैं । अत: ये संगठन स्वयं सामाजिक प्रशासन का अभिन्न अंग है । अत: यहाँ सामाजिक प्रशासन का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि स्वैच्दिक संगठनों को प्रोत्साहन देनना भी सामाजिक प्रशासन का ही कार्य है ।

6. **सामाजि नीतियों तथा नियोजन को प्राथमिकता :**–किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में लोकनीति (Public Policy) का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है । एल० डी० व्हाईट (L.D. White) नीति क्रियान्वयन को ही लोक प्रशासन का मुख्य कार्य मानते है। । सामाजिक प्रशासन का यहाँ महत्व इसलिये है कि इसके माध्यम से समाज कल्याण क्षेत्र की व्यवहारिक नीतियाँ बन सकती है ।

7. **सामाजिक विधान क्या समाज सुधार :**–अब राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव समाज के कल्याण के लिये आवश्यक संस्था के रूप में देखा जाता है । महान चिन्तक अरस्तू ने भ कहा है–"राज्य जीवन के लिये अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिये उसका अस्तित्व बना हुआ है ।" इसलिये समाज में फैली कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को सफाया करने में सामाजिक कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका स्वकारी जाती है । सामाजिक प्रशासन का महत्व सामाजिक कानूनों के निर्माण तथा उनके सफल क्रियान्विति के लिये देखा जा सकता है । सामाजिक परिवर्तन तथा सुधार के लिये अपेक्षित जनमत (Public opinion) जन चेतना तथा आधार तैयार करना, अन्य सम्बन्ध मिभागों से समन्वय करने तथा सामाजिक कल्याण क्षेत्र में विशेष संवर्ग को विकसित करने में यह प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक है ।

8. **विकेन्द्रीकरण तथा विशेषीकरण का परिचालक :**–विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा समाज विज्ञानों में हुई प्रगति के पश्चात् प्रशासन में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है । सामाजिक कल्याण कार्यों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना एवं समाज कार्य के क्षेत्र में लगे हुये स्वैच्कि संगठनों को दिशा निर्देश उपलब्ध कराना अब सामाजिक प्रशासन का विशेषीकृत क्षेत्र बन गया है । लोक प्रशासन में सभी कार्यों को जिसमें समाज कल्याण के कार्य भी प्रमुख रूप से आते हैं, शीघ्र तथा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये विकेन्द्रीकरण करना भी आवश्यक होता है अत: विकेन्द्रीकरण तथा विशेषीकरण के कारण सामाजिक प्रशासन का महत्व बढ़ा है ।

9. **मानवीय गरिमा की रक्षा :–**सामाजिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र मूलत: ऐसे व्यक्तियों से सम्बन्धित है जो किसी न किसी रूप से समाज की नजरों में दीनहीन या निम्न स्तरीय हैं। ऐसे व्यक्तियों की समाज में गरिमापूर्ण प्रविष्ट ही सामाजिक प्रशासन के महत्व को दिखाता है। इसीलिये कहा जाता है कि किसी प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता उसके कानूनों नीतियों तथा कार्यक्रमों में नहीं बल्कि सबसे पिछड़े व्यक्ति के उत्थान के लिये किये गये प्रयासों पर ही आंकी जा सकती है। अत: मानवीय गरिमा की रक्षा के क्षेत्र में सामाजिक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक है।

इस प्रकार उपर बताये गये सभी बातें सामाजिक प्रशासन के महत्व के लिये उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

3.6 सारांश (Summary)

इस प्रकार समाज कल्याण प्रशासन की धारणा के अन्तर्गत उनकी परिभाषा, इसका क्षेत्र, सिद्धान्त तथा इसके महत्व की चर्चा की गई है।

सामाजिक प्रशासन की अनेक परिभाषायें दी गई है, जिसके द्वारा उसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास एक विशिष्ट विषय नहीं है, बल्कि यह अध्ययन का बहु अनुशासनात्मक क्षेत्र है। सामाजिक प्रशासन के अध्ययन का क्षेत्र आवश्यक रूप से उन वैधानिक प्रावधानों से सम्बन्ध है जो समाज कल्याण के लिये बनाये गये हैं। और उन वैधानिक प्रावधानों का लक्ष्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति से है।

अनेक परोपकारी राजाओं के शासनकाल में सामाजिक कल्याण के कार्य राज्य द्वारा संचालित हुये हैं, किन्तु लोकतन्त्र के विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने सामाजिक प्रशासन को एक विधिवत् स्वरूप में विश्व भर में लोकप्रिय तथा अपरिहार्य बना दिया है। इसलिये सामाजिक प्रशासन का कार्य एक पेशा (Profesion) कहा जाने लगा है।

सामाजिके प्रशासन का दायरा या क्षेत्र इसी कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके क्षेत्र में सिर्फ राज्य की नीतियों तथा संविधन में उपलबन्धित प्रावधान ही नहीं आते बल्कि सामुदायिक सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण इत्यादि सभी सेवायें आती हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन भी प्रमुख रूप से आते हैं। पोस्ड कॉर्ब (POSDCORB) तकनीक का दायरा जो लूथर गलिक द्वारा बताया गया है, उसे भी हम सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र से बाहर नहीं रख सकते। क्योंकि पोस्डकॉर्ब सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को व्यक्त करता है। इसी प्रकार सामाजिक नीति एवं विधान निर्माण, जन सम्पर्क का महत्व एवं अनुसंधान तथा मूल्यांकन, इनके बिना भी सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र अधूरा रह जायेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र मनुष्य के जन्म के पूर्व तथा सम्पूर्ण जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक कार्य से लेकर मृत्यु के पश्चात् तक की समस्त प्रक्रियाओं तक फैला है। परन्तु विशेषीकरण के बढ़ते महत्व के इस युग में विस्तृत क्षेत्रों की अवधारणायें अब बेमानी हैं, अत: सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जाता है। समाज रक्षा तथा कल्याण से सम्बन्ध सेवाओं की निश्चितता का अभाव होने से सामाजिक प्रशासन का क्षेत्र पूर्णतया निश्चित् या निर्धारित नहीं हो पाया है।

सामाजिक प्रशासन की प्रकृति मानव सेवा के व्यवहारिक पक्ष के समीप है। अत: सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्तों को इन्हीं पर आधारित माना गया है। इसलिये सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्तों के अन्तर्गत व्यक्ति में

नीहित गुणों व्यक्ति के स्वावलम्बन, व्यक्ति का स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्वों समझना, सभी के लिये समान अवसर प्रदान करना, मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण इत्यादि सभी कुछ आते हैं। सामाजिक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निर्बल, नि:शक्त तथा सामाजिक आर्थिक रूप से प्रताड़ित लोगों की सेवा से सम्बन्धित है, अत: इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था की मूलभूत मान्यतायें मानवीय दृष्टिकोण (Humanistic Approache) पर आधारित होनी चाहिये।

इस दृष्टिकोण से सामाजिक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक है। क्योंकि इसी के द्वारा मानव कल्याा के लिये कार्य किये जाते हैं। वैधानिक प्रावधानों एवं आदर्शों की क्रियान्विति सामाजिक प्रशासन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। यह सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। राष्ट्रीय विकास, समाज सुधार, स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन तथा मानवीय गरिमा की रक्षा सामाजिक प्रशासन द्वारा ही सम्भव है। अत: इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते।

अन्त में हम कह सकते हैं कि सामाजिक प्रशासन हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूता है। बिना सामाजिक प्रशासन के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। खासकर इसकी भूमिका असहाय, निर्बल, नि:सहाय, वृद्ध, स्त्रियों, विकलांगों तथा सदियों से दबे वर्गों को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है।

3.7 अभ्यास के प्रश्न (Questions for Exercise)

1. **सामाजिक प्रशासन का अर्थ एवं उसके क्षेत्र की व्याख्या करें।**
   Explain the meaning and scope of the social welfare administration.
2. **सामाजिक प्रशासन के सिद्धान्तों का वर्णन करें।**
   Write about the principles of social welfare administration.
3. **सामाजिक प्रशासन के महत्व का वर्णन करें।**
   Explain the importance of social welfare administration.
4. **क्या आपके विचार से सामाजिक प्रशासन का महत्व है ?**
   Do you think that social welfare administration is important in to day's would.

3.8 प्रस्तावित पाठ (Suggested Readings)

1. **सामाजिक प्रशासन (कल्याण प्रशासन)** : डा० सुरेन्द्र कटारिया आर० बी० एस० ए० पब्लिशर्स, जयपुर।
2. **संपादन-प्रशासन एवं लोक नीति** : मनोज सिन्हा, ओरियंट ब्लैकस्बॉन, हैदराबाद
3. **राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धान्त** : अकबाल नारायण रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा